कार्यालयः– जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/2020–21

निविदा की शर्तें :–

1. स्पॉन आपूर्तिकर्त्ता के पास मत्स्य हैचरी होना अनिवार्य है। स्थानीय मत्स्य हैचरी (विभाग द्वारा अनुदानित दर पर निर्मित) संचालक को समान मूल्य दर पर प्राथमिकता दी जाएगी।
2. हैचरी का सरकारी निबंधन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्त्ताओं को अपनी मत्स्य हैचरी का विवरण एवं उपलब्ध ब्रूडर का आँकड़ा प्रजातिवार व अनुपात में देना अनिवार्य होगा।
4. स्पॉन आपूर्तिकत्ताओं को मत्स्य हैचरी का प्रतिचरण स्पॉन उत्पादन की क्षमता को उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन में भारतीय मेजर कार्प मछली का होना अनिवार्य होगा एवं स्पॉन आपूर्ति में कम से कम 40 प्रतिशत कतला होना अनिवार्य होगा ।
6. निविदादाता को पहचान पत्र, पैन नं0 एवं जी0एस0टी0 पंजीयन की अद्यतन (Up to Date) की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन (2019–20, 2018–19 एवं 2017–18) संलग्न करना अनवार्य है।
8. झारखण्ड राज्य अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में किये गये लगातार स्पॉन आपूर्ति का जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र (कम से कम तीन वर्ष) का ब्योरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र स्व अभिप्रमाणित के साथ देना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में मो0 81000 (इक्यासी हजार) रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी किया गया हो एवं अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से पूर्वी सिंहभूम में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. स्पॉन की आपूर्ति पॉलिथीन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय या अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न प्रखण्डों में निर्धारित कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वस्थ्य अवस्था में पहुँचा कर करना होगा।
12. प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या हैचरी से वितरण स्थल की दूरी के अनुसार होगी, जिससे स्पॉन की उत्तरजीविता बनी रहे। प्रति पॉलिथिन बैग में अधिकतम 50000 (पचास हजार) स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जायेगी। स्पॉन आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
13. स्पॉन की आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटित लक्ष्य के अनुरूप की जानी है। इसे कम करने या बढ़ाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
14. स्पॉन की आपूर्ति हैचिंग के लगभग 60 घंटा बाद गुणवत्ता आधारित मानकों के अनुरूप तय समय सीमा के अंदर जीवित एवं स्वस्थ्य अवस्था में पहुँचा कर देना होगा। गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुसार स्पॉन आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
15. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश स्पॉन आपूर्ति में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा।
16. मत्स्य स्पॉन आपूर्ति की दर (परिवहन, पैकेजिंग एंव GST शुल्क सहित) अधिकत्तम 550/– (पाँच सौ पचास) रूपये प्रति लाख होगा। निविदादाता को स्पॉन का दर (परिवहन पैकेजिंग एंव GST शुल्क सहित) प्रति लाख की दर से अंकित करना होगा।
17. COVID-19 महामारी के कारण चालू वित्तीस वर्ष में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देश/आदेश के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी, तदनुरूप आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जायेगा।
18. निविदादाता को अनिवार्य रूप से तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सील बंद लिफाफे में तकनीकी और वित्तीय निविदा उनके उपर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा के बक्से में डालनी होगी। मात्र एक निविदा या दोनो (वितिय एवं तकनीकी) निविदा एक ही लिफाफे में होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
19. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गई विवरणी असत्य एवं भ्रामक पाये जाने की स्थिति में निविदादाता को काली सूची में रखते हुए दिये गये निविदा को रद् कर दी जायेगी। वैसी स्थिति में दूसरे न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने वाले निविदादाता को स्पॉन आपूर्ति आदेश निर्गत की जायेगी। इस विषयक जाँच के लिए अधोहस्ताक्षरी का अधिकार स्वतंत्र एवं सुरक्षित होगा।
20. तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी एवं उसपर विचार किया जायेगा अन्यथा उनकी निविदा अयोग्य करार कर दिया जायेगा।
21. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समय :– निदेशक, लेखा प्रशासन एंव स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय कक्ष/**दि0. 30.07.2020/ अपराह्न 03:00 बजे।** निविदादाता चाहे तो स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
22. विभाग हित में निविदा की शर्त में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
23. किसी तरह का विवाद का निपटारा, पूर्वी सिंहभूम, जिला न्यायालय के अन्तर्गत ही मान्य होगा।

21/07/2020

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम।